न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/46/2022	2022/205	26.04.2022	06.05.2024

1. प्रहलाद मीणा पुत्र श्री बुद्धालाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत खोहदरीबा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर

—अपीलान्ट

बनाम

2. जिला रसद अधिकारी, अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2022 प्रकरण सं. 01/2022 जिला रसद अधिकारी, अलवर जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 1669/2012 निरस्त किया।

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 24.02.2022 जिसके जरिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 1669/2012 निरस्त किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि अपीलान्ट, ग्राम पंचायत खोहदरीबा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/2 भाग ग्राम पंचायत खोहदरीबा में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है जिसका प्राधिकार पत्र सं. 1669/2012 है जो वर्ष 2012 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। मातहत अदालत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.10.2014 को निलंबित किया गया था, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील सं. 12/75/2016 बअनुवान प्रहलाद मीणा बनाम् जिला रसद अधिकारी, अलवर संस्थित की गई थी, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.09.2017 को किया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निम्न निर्णय पारित किया गया था "उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 09.10.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत आदेश एक माह में पारित करें।" आदेश की प्रति संलग्न है। मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर ने माननीय न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 18.09.2017 की समुचित पालना नहीं की गई और एक माह की अवधि में प्रकरण निस्तारित करने के निर्देशों की लगातार अवहेलना की जाकर करीब साढे चार वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका मनमाने रूप से एकपक्षीय रूप में आलोच्य निर्णय दिनांक 24.02.2022 सादिर किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाया गया है। जिन आधारों पर मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, उन तथ्यों का फैलसा माननीय श्रीमान न्यायालय द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। जब किसी एक आरोप का एक मर्तबा निर्णय हो जाता है तो उसी आरोप पर पुनः दोषी नहीं माना जा सकता है। इसलिए भी मातहत अधिकारी का आलोच्य निर्णय काबिल निरस्तनीय है। मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा

जिला कलक्टर, अलवर

अपीलान्ट को दिनांक 19.01.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर 07 दिवस में जवाब मांगा गया था और उसी दिन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 19.01.2022 को ही निलंबित कर दिया, जो निलंबन आदेश काबिल निरस्तनीय है। जब कारण बताओ नोटिस मिन अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया गया है तो जिला रसद अधिकारी, अलवर को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित नहीं करना चाहिए था क्योंकि उक्त आरोपों की बाबत माननीय जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया था और अपीलान्ट की अपील मंजूर की गई थी जिस कारण से भी मातहत जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2022 निरस्त फरमाए जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट को प्रेषित कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.01.2022 का विस्तृत जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के समक्ष दिनांक 04.02.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया था एवं जवाब के साथ रिकार्ड से संबंधित एफआईआर की प्रति, पूर्व नोटिस की प्रति, पूर्व जवाब की प्रति प्रस्तुत की गई थी एवं अपीलान्ट से मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा यह कहा गया था कि प्रकरण ड्राप कर दिया जावेगा और आगामी तारीख अपीलान्ट को नहीं दी गई थी, जिसके उपरान्त अपीलान्ट की सुनवाई ना करते हुए एकपक्षीय रूप में दिनांक 24.02.2022 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर आलोच्य निर्णय सादिर फरमाया गया है, जो कि अपास्त व अभिखंडित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं रही है। मातहत अदालत जिला रसद अधिकारी अलवर ने मिन अपीलान्ट के विरूद्ध जो राशन कार्डो की यूनिट का आरोप लगाया गया है, वो गलत है। राशन कार्डो की यूनिटों का निर्धारण ग्राम पंचायत सचिव, विकास अधिकारी निर्धारित करते हैं, राशन डीलर नहीं करता है। राशन कार्डों की यूनिट के आरोपों का जहां तक सवाल है एवं शिकायतकर्ता का जहां तक सवाल है, उस शिकायतकर्ता की शिकायत पंचायत सचिव की एवं पूर्व सरपंच की एवं विकास अधिकारी के विरूद्ध रही है, अपीलान्ट राशन डीलर के विरूद्ध नहीं रही है। आलोच्य निर्णय दिनांक 24.02.2022 में फैलीराम मीणा के बारे में लिखा गया है जबकि फैलीराम मीणा को राशन सामग्री नहीं मिलती थी उसका नाम खाद्य सुरक्षा लिस्ट में नहीं था। अपीलान्ट पर गलत जांच रिपोर्ट दिनांक 24.02.2022 के आधार पर जो आरोप विरचित किये गये थे, वो गंभीर प्रकृति के नहीं थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए व अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं था। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा ग्राम पंचायत खोहदरीबा के सरपंच श्री धन्नालाल मीणा के बयान दिनांक 20.11.2015 लिये थे, जिनके द्वारा भी अपीलान्ट का राशन वितरण कार्य सही व संतोषजनक होना बताया गया था, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बताई गई थी, के बावजूद भी जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है, जिस कारण से अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अपीलान्ट वर्ष 2012 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बेजा रूप से निरस्त किया गया है, जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्ध तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये हैं, वो आरोप गंभीर प्रकृति के नही थे, ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का गबन किया गया है, ना ही अपीलान्ट द्वारा कोई अनियमितता की गई है, जिसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से अपनी हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की जानबूझकर किसी प्रकार से भी उल्लघंन नहीं किया गया है एवं ना ही किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 24.2.2022 प्रकरण सं. 01/2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट का पोस कोड सं. 17049, प्राधिकार पत्र सं.

जिला कलक्टर, अलवर

1669/2012 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त राज्य सरकार किये जाने का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट की पॉस कोड संख्या 17049, प्राधिकार पत्र सं. 1669/2012 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत खोहदरीबा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज०) के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण करने का आदेश अपीलान्ट के पक्ष में प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त चितंन–मनन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खोहदरीबा में दिनांक 12.04.2012 को अंतोदय योजना के 35 राशन कार्ड थे, जो दिनांक 28.12.2012 को 53 हो गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर ने अपने पत्रांक क्रमशः 5371/16.03.2015, 9042/05.10.2016 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट द्वारा गलत एवं त्रुटिपूर्ण सूचना दी गयी है। 18 अंतोदय योजना के राशन फर्जी पाये गये, जिससे अपीलांट द्वारा अनुचित लाभ पाया जाता रहा। सितम्बर 2016 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा बनाये जाकर उक्त सूचना विकास अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को दी जाती थी। उक्त सूचना के आधार पर भी राशन सामग्री का आवंटन राशन डीलर को किया जाता था। उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.04.2015 व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र दिनांक 16.03.2015 के अनुसार अंतोदय राशन कार्ड की सूचना गलत होना पाया गया। उक्त संबंध में अपीलांट द्वारा कोई जवाब/बहस पेश नहीं की गयी। अपीलांट द्वारा राशन दुकान से संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया और कहा गया कि रिकॉर्ड चोरी हो गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा बार–बार नोटिस जारी करने पर भी राशन डीलर द्वारा वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करया गया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अगस्त 2012 से दिसम्बर 2012 तक 5 माह में 18 अंतोदय राशन कार्डो पर प्रति राशन 35 किग्रा की दर से 31,500 किग्रा0 गेहूं का गबन किया जाना पाया गया। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.02.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)